

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 24.11.2024

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 668/2024 धारा 105,352,351(3) बी.एन.एस व 3(2)(v) 3(1) द,ध एससी/एसटी से संबंधित अभियुक्त अमन उर्फ बदरू यादव पुत्र बैजनाथ उर्फ बाजा यादव निवासी बड़की अकोलहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना खोराबार पर सूचना दिया कि दिनांक 17.11.2024 को गांव के ही अमन द्वारा कुत्ते को मारने की बात को लेकर कहा सुनी के दौरान वादी के भाई को लाठी डंडा व ईंट से मारा गया जिससे वह गम्भीर रूप से चोटिल हो गया तथा वह कोमा में चला गया है, जिसका ईलाज मेडिकल कालेज में चल रहा था कि ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 668/2024 धारा 105,352,351(3) बी.एन.एस व 3(2)(v) 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन उर्फ बदरू यादव पुत्र बैजनाथ उर्फ बाजा यादव निवासी बड़की अकोलहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 668/2024 धारा 105,352,351(3) बी.एन.एस व 3(2)(v) 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष नीरज राय थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 प्रदीप यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 भगवत स्वरूप पाठक थाना खोराबार जनपद गोरखपुर